भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 **जुलाई, 2021**

(असाधारण भाग I—खंड -1)
अधिसूचना
सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2021:भारत सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम)अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
5.63% सरकारी प्रतिभूति 2026	12 अप्रैल, 2021	05-00-00	12 अप्रैल, 2026	मूल्य	समान	11,000
भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2033	22 जून, 2020	13-03-00	22 सितम्बर, 2033	मूल्य	समान	4,000
6.64% सरकारी प्रतिभूति 2035	12 अप्रैल, 2021	14-02-04	16 जून, 2035	मूल्य	समान	10,000
6.67% सरकारी प्रतिभूति 2050	02 नवबंर, 2020	30-01-15	17 दिस., 2050	मूल्य	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति/प्रतिभूतियों में ₹8,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियां, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम **(अनुबंध)** के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **16 जुलाई, 2021** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **16 जुलाई, 2021** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर **16 जुलाई, 2021** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **19 जुलाई, 2021** अर्थात् **पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान

6. **मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख** से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर **सममूल्य** पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
5.63% सरकारी प्रतिभूति 2026	5.63	नई प्रतिभूति	18 जुलाई, 2021	12 अक्तूबर और 12 अप्रैल
भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2033	परिवर्तनीय#	22 मार्च, 2021	18 जुलाई, 2021	22 सितम्बर और 22 मार्च
6.64% सरकारी प्रतिभूति 2035	6.64	16 जून, 2021	18 जुलाई, 2021	16 दिसम्बर और 16 जून
6.67% सरकारी प्रतिभूति 2050	6.67	17 जून 2021	18 जुलाई, 2021	17 दिसम्बर और 17 जून

#: भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2033.

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाले बांड की कूपन दर जो मूल दर होगी तथा यह 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) की भारित औसत आय (डब्ल्यू ए वाई) की औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा 122 आधार बिन्दुओं के नियत प्रसार के समतुल्य होगी। यह प्रसार बांड की पूरी अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) बांड की समयावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामियों को बंद कर दिए जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन नॉन-रिपोर्टिंग शुक्रवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूति(यों) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाई टी एम) की औसत होगी। यदि किसी शुक्रवार को कोई विशेष छुट्टी/छुट्टियां हो, तो परिपक्वता पर आय की दरें वही होंगी जो पिछले कार्य दिवस पर थी।

(iv) कूपन अवधि 22 मार्च, 2021 से 21 सितंबर, 2021 के लिए आधार दर 3.48 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तदनुसार, इस अवधि के लिए अस्थायी दर वाले बांड 2033 पर ब्याज दर 4.70 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज दर, संबन्धित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी
(आशीष वच्छानी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार